न्यायालय Addl. District Judge Court No. 1, Unnao
पीठासीन अधिकारी– (Kavita Mishra), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06229**

<u>प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1869 / 2026</u>

1. मनप्रीत उर्फ मानी पुत्र अशोक
निवासी डेरा बाबा नानक न्यायचंद गली
थाना डेरा बाबा नानक
ज़िला गुरूदासपुर (पंजाब).....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

1. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, उन्नाव.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–132 / 2026
धारा–309(6) बी.एन.एस.
थाना बीघापुर जिला उन्नाव।

<u>दिनांक0 :–22.07.2026</u>

यह **प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र** आवेदक / अभियुक्त मनप्रीत उर्फ मानी की ओर से मु0अ0सं0–132 / 2026 धारा–309(6) बी.एन.एस. थाना बीघापुर जिला उन्नाव मे प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में ज़िला कारागार मे निरूद्ध है।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि श्रीमान जी के न्यायालय मे यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है इसके पूर्व अभियुक्त का कोई भी प्रार्थना–पत्र जमानत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ लखनऊ एवं श्रीमान जी के न्यायालय मे न तो दिया गया है और न ही विचाराधीन है।

वादी मुकदमा मोहित कुमार के द्वारा थानाध्यक्ष बीघापुर ज़िला उन्नाव को दी गयी तहरीर के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी मोहित कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी ग्राम हिन्दूखेड़ा पो0.बड़ौरा थाना दही जनपद उन्नाव का मूल निवासी है। प्रार्थी अपने गांव से ग्राम छुलिहा पो0.रानीपुर थाना बीघापुर जा रहा था रिश्तेदारी मे तभी दिनांक 19.05.2026 को समय लगभग तीन बजे दोपहर की घटना है। मल्लपुर रानीपुर के बीच रास्ते मे खजूर के पेड़ के नीचे चार अज्ञात लोगों ने काले कपड़े पहने थे जिन्हे प्रार्थी की मोटर साइकिल रूकवा कर प्रार्थी के साथ मारपीट करके मोबाइल व 1600 / –रूपये व आधार कार्ड,हेलमेट व मोटर साइकिल जिसका नम्बर यू.पी.35 बी.एम–9428 स्पेलेन्ड

आई श्री एस लूट लिया और मेरे सिर पर किसी चीज से वार किया जिससे सिरमे चोटे आयी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखने की कृपा करे।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर 04 अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध संबंधित थाने पर धारा–3(5),126(2),115(2),309 बी.एन.एस. मे अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा दिनांक 22.5.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी मे उसके कब्जे से 600/सौ रूपये दो–दो सौ रूपये के तीन नोट बरामद हुए

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से आधार जमानत मे कथन किया गया कि प्रार्थी/ अभियुक्त को उक्त मामलें मे झूॅठा फंसाया गया है उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई लूट की घटना कारित नही की गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी नही है। पुलिस ने गुडवर्क के कारण प्रार्थी को फर्जी उक्त मामले मे अभियुक्त बनाया है। कथित घटना से संबंधित कोई माल पुलिस पार्टी के द्वारा प्रार्थी के कब्जे से बरामद नही किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस पार्टी के द्वारा उक्त वाद मे झूॅठा फंसाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध है। प्रार्थी का प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र श्रीमान जी के न्यायालय मे दिय गया अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय मे विचाराधीन है। प्रार्थी जमानत से छूटने पर न तो कही भागेगा और न ही गवाहान सबूत को तोडेगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थी को ता–फैसला मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया तथा यह कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का बताते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

उभय पक्षों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.5.2026 को समय लगभग तीन बजे दोपहर की घटना है। मल्लपुर रानीपुर के बीच रास्ते मे खजूर के पेड़ के नीचे चार अज्ञात लोगों ने काले कपड़े पहने थे जिन्होने वादी की मोटर साइकिल रूकवा कर वादी के साथ

मारपीट करके मोबाइल व 1600/–रूपये व आधार कार्ड,हेलमेट व मोटर साइकिल जिसका नम्बर यू.पी.35 बी.एम–9428 स्पेलेन्ड आई थ्री एस लूट लिया और वादी के सिर पर किसी चीज से वार किया जिससे सिर मे चोटे आयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात मे दर्ज कराई गई है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त के कब्जे से 600/सौ रूपये दो–दो सौ रूपये के तीन नोट बरामद हुए है। उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह पुलिस पार्टी के द्वारा नही बनाया गया है जो भी गवाह है वह पुलिस पार्टी के गवाह है। संबंधित मामलें मे आवेदक/अभियुक्त दिनांक–22.05.2026 से ज़िला कारागार मे निरूद्ध है तथा विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की एस.एल.पी. (क्रि.)नं0–5191/2021 सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति सी.बी.आई. दिनांकित 07.10.2021 मे प्रतिपादित सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुए एवं गुण–दोष पर किसी भी प्रकार का कोई मत व्यक्त किये बिना,न्यायालय की राय मे जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **मनप्रीत उर्फ मानी** द्वारा प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1869/2026 मु.अ.सं–132/2026 धारा–309(6) बी.एन.एस. थाना बीघापुर** जिला उन्नाव निम्नलिखित शर्तो के अधीन **स्वीकार** किया जाता है।

1. अभियुक्त स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता विचारण मे उपस्थित रहकर न्यायालय की कार्यवाही मे सहयोग करेगा।

2. अभियुक्त वादी मुकदमा एवं गवाहों के दौरान विचारण डरायेगे,धमकायेगे नही और न ही कोई प्रलोभन देगे।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा **मु.50,000/–(पचास हजार रूपये)** का स्वबंध पत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभु संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 22.07.2026

(कविता मिश्रा)
अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–1, उन्नाव।